न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/93

नरसी पुत्र स्व0 श्री नाथूलाल जाति हरिजन निवासी मण्डावरा हाल खेडली तंवरान तहसील दीगोद जिला कोटा ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. बाबू उर्फ बदु पुत्र स्व0 श्री नारायण जाति हरिजन निवासी खेडली तंवरान तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. अशोक पुत्र स्व0 श्री सन्नू जाति हरिजन ।
3. विनोद पुत्री स्व0 सन्नू पत्नी बहादुर जाति हरिजन ।
4. मूर्ति पुत्री स्व0 सन्नू पत्नी स्व0 जगदीश जाति हरिजन ।
5. चमेली बाई पत्नी स्व0 सन्नू जाति हरिजन निवासीगण खेडली तंवरान हाल पावर हाउस के पास, डीसीएम कोटा ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री बलराम शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 04.03.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.01.2018 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम मण्डावरा तहसील दीगोद जिला कोटा में कुल 04 किता की 1.28 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि पूर्व में राजस्व रिकॉर्ड में वादी एवं प्रतिवादी कम 01 के पिता नारायण के नाम दर्ज चली आ रही थी । नारायण जी की मृत्यु हो जाने के पश्चात् उक्त भूमि

में प्रतिवादी कम 01 व प्रतिवादी कम 2 से 4 के पिता व 05 के पति सन्नू तथा दाखा बेवा नारायण के नाम दर्ज हुई । नारायण जी के 03 पुत्र नरसी, बाबू व सन्नू हैं और बेवा दाखा बाई की मृत्यु हो चुकी है । नारायण जी की मृत्यु के बाद वादी व प्रतिवादी कम 01 व सन्नू के नाम इंतकाल दर्ज होना चाहिए था किन्तु सहवन से वादी का नमा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने से रह गया है । वादी नारायण जी का पुत्र व प्रतिवादी कम 01 का भ्राता होने के कारण उक्त भूमि में वादी का 1/3 व प्रतिवादी कम 01 का 1/3 तथा सन्नू की मृत्यु हो जाने से उसके वारिस प्रतिवादी कम 02 से 05 का 1/3 हिस्सा है । उक्त भूमि वादी की पुश्तैनी भूमि है इस कारण उक्त भूमि में से वादी 1/3 हिस्से का खातेदार होने का अधिकारी है क्योंकि वादी नारायण जी की मृत्यु के बाद से ही अपने 1/3 हिस्से पर काबिज काश्त चला आ रहा है । प्रतिवादी कम 01 के मन में बदनियती आ जाने के कारण प्रतिवादी कम 01 आये दिन वादी के कब्जे काश्त में मदाखलत पैदा करता है तथा वादग्रस्त आराजी से वादी को बेदखल करने पर आमादा है जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी में 1/3 हिस्से का वादी को व प्रतिवादी कम 01 को 1/3 हिस्से का तथा प्रतिवादी कम 02 से 6 को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादग्रस्त आराजी अथवा उसके किसी भाग को रहन, बेचान व खुर्द–बुर्द नहीं करे और वादी को उसके 1/3 हिस्से की भूमि पर काश्त करने से नहीं रोकें और न ही बेदखल करें । उक्त कृत्य न तो प्रतिवादीगण स्वयं करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. प्रतिवादी कम 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी पेश कर कथन किया कि वादी ने वादपत्र कम 1 व 2 में वादग्रस्त आराजी को पुश्तैनी होना बताया है जबकि उक्त भूमि पुश्तैनी नहीं है । पुश्तैनी आराजी बाबत् वादी द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं होने से विवादित आराजी पुश्तैनी होने की ताईद नहीं होती है । ऐसी स्थिति में गलत तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत किया गया है जो खारिज होने योग्य है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का वाद इसी स्तर पर खाजिर फरमाया जावे ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 22.01.2018 के द्वारा प्रतिवादी कम 01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार करते हुए वादी का वाद खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.01.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट वादी ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किये बिना उक्त वाद खारिज किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.01.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी दावे को खारिज करने हेतु पेश किया । अधीनस्थ न्यायालय ने इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए वाद वादी खारिज किया है । राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किये बिना दावा खारिज किया है । प्रतिवादी क्रम 02 लगायत 05 के द्वारा जवाबदावे में दावे को स्वीकार किया है । आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत दावे को तब ही खारिज किया जा सकता है जब दावे में वादकारण अंकित न हो, दावा पूर्ण मूल्यांकित न हो, विधि के विरूद्ध हो। अन्य परिस्थितियों में जवाबदावा लेकर तनकीयात कायम कर ही निर्णय पारित किया जाना चाहिए । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.01.2018 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरबीजे 2017 पेज 51 उद्धरत की ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादी पुश्तैनी सम्पत्ति का कथन करके दावा लाये हैं परन्तु पुश्तैनी भूमि के प्रमाण में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है । ग्राम पंचायत को इस तरह का प्रमाण पत्र जारी करने कोई अधिकार नहीं है । संवत् 2013–22 की जो जमाबन्दी पेश की गई है उसमें नारायण का कहीं भी नाम अंकित नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.01.2018 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादी के द्वारा यह कथन करते हुए हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है कि वादग्रस्त आराजी नारायण की मृत्यु के बाद प्रतिवादी क्रम 01, प्रतिवादी क्रम 02 लगायत 05 के पिता सन्नू और दाखा बेवा नारायण के नाम दर्ज की गई जबकि वादी भी नारायण का पुत्र है । दावे में बाबू प्रतिवादी क्रम 01 के द्वारा आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र यह कथन करते हुए पेश किया है कि आराजी पुश्तैनी नहीं है इस कारण दावा चलने योग्य नहीं है । प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 के द्वारा जो जवाबदावा पेश किया गया है उसमें दावे की मद संख्या 03 जिसमें कि परिवार का शजरा बताया गया है को स्वीकार किया गया है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर नकल जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग संवत् 2043–62 संलग्न है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी कुल 04 किता की 1.28 हैक्टर बाबू, सन्नू पुत्र व दाखा बेवा नारायण के खाते में दर्ज है । ग्राम पंचायत खेडली तंवरान का प्रमाण पत्र दिनांक 05.06.2017 संलग्न है । नकल जमाबन्दी संवत् 2013–22 संलग्न है । इसके आलवा मिलान क्षेत्रफल की नकल संवत् 2043–62 भी पत्रावली पर संलग्न हैं ।

12. वादी के द्वारा यह कथन करते हुए हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया है कि वादग्रस्त आराजी नारायण की मृत्यु के पश्चात् प्रतिवादीगण के खाते में दर्ज हुई है और वो नारायण के पुत्र हैं, अतः उन्हें वादग्रस्त आराजी में खातेदारी प्रदान की जावे । वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी है अथवा नहीं इसका निर्धारण आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के आधार पर नहीं हो सकता क्योंकि वादी को अपने दावे को साक्ष्य से साबित करने का मौका

जवाबदावा आने के उपरान्त प्राप्त होगा । वादी के द्वारा अपने दावे में अपने परिवार का जो शजरा पेश किया है उसे प्रतिवादी कम 2 लगायत 05 के द्वारा अपने जवाबदावे में स्वीकार किया गया है । ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में हम जवाबदावा प्राप्त कर तनकीयात कायम कर दावे का निर्णय पारित किया जाना आवश्यक समझते हैं । आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत दावे को उन्हीं परिस्थितियों में खारिज किया जा सकता है जब दावे में अंकित तथ्यों के आधार पर दावा विधिक रूप से चलने योग्य न हो । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर दावे को खारिज करने में विधिक त्रुटि की है ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.01.2018 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादी कम 01 से जवाबदावा प्राप्त कर दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर उभय पक्षीय साक्ष्य लेकर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 24.04.2020 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 04.03.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

4/3/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा